6. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास एवं निर्माण कार्य 5 वर्ष में पूर्ण करने होंगे तथा योजना का कियान्वयन डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब होने पर अपरिहार्य परिस्थितियों में विकासकर्ता के अनुरोध पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु 'केस–टू–केस' के आधार पर अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

7. अफोर्डेबल हाउसिंग का अधिकतम मूल्य सभी टैक्सों एवं सेवाओं को जोड़ते हुए धनांक रू. 30.00 लाख से अधिक नहीं होगा।

8. विकासकर्ता को योजना के अन्तर्गत आ रही ग्राम सभा की भूमि का सक्षम स्तर पर Exchange Deed सम्पादित कराने के बाद ही परियोजना पर निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत **"SAI GAON"** नामक परियोजना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित परियोजना पर आपके विकास क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति/अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित डी0पी0आर0 की हार्डकापी एवं सॉफ्टकापी।

भवदीय,

/

(एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः

1. अधिशासी निदेशक (आवास बन्धु)/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ।
2. M/S Shree Sai Baba Infra Projects Pvt. Ltd. 20/51-5 and 20/52-4, Sridas Foundation Building Mall Road, Cantt Varanasi-221002 को इस आशय से प्रेषित कि यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक

VK Sir